सं0सं0–7/प्रा0–01–01/2012– 46(7)ब

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
सभी सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 03–10–2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड– N2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹91,02,89,040/–(एकान्वे करोड़ दो लाख नवासी हजार चालीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–04(7)ब दिनांक–16.04.12, 29(7)ब दिनांक–27.06.12 एवं 33(7)ब दिनांक–19.7.12 एवं मांग पत्रों के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹91,02,89,040/–(एकान्वे करोड़ दो लाख नवासी हजार चालीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08, वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11, 3833 वि0(2) दिनांक–02.04.12, 4201 वि0(2) दिनांक– 18.04.12 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्र में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड – N2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. दवा भंडार/चिकित्सा सामग्री भण्डार (रसायन), भोजन, मशीन– उपकरण, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, भाड़े पर ली गयी गाड़ी पर व्यय, सामग्री–पूर्त्तियाँ एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।

28/9/12

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का संत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे । सक्षम पदाधिकारी का मकाना किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आश्य का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे ।

13. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–1307 (21) दिनांक–19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/–) दस हजार रूप्ये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे ।

15. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

16. व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

17. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

18. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

28/9/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4607 पटना, दिनांक : 03-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

28/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–II

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (08–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	वर्दी / पोषक (13–05)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं (28–01)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	पटना	30000000	20100000	3000000	5000	300000	300000	53705000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36800000	0	90505000	7157/21.8.12, 3798/12.6.12
2	भोजपुर	0	0	0	0	0	0	0	150781	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0	0	8150781	11/10.8.12, 2219/19.9.12
3	गोपालगंज	10000000	6700000	1000000	0	100000	100000	17900000	100000	50000	90000	0	0	0	0	520800	7500000	12400000	560000	39120800	2405/3.9.12
4	पूर्णिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198400	0	0	0	595200	10000000	9000000	800000	20593600	3137/14.8.12
5	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	155195	0	0	0	0	100000	0	700000	10000000	25000000	0	35955195	1898/21.7.12, 2413-16/29.8.12, 1727/28.6.12
6	सारण	1100000	737000	110000	0	11000	11000	1969000	0	0	0	0	0	0	100000	0	768468	19553000	0	22390468	2023/8.8.12, 1749/5.7.12
7	सीतामढ़ी	12000000	8040000	1200000	0	120000	120000	21480000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	6000000	0	32480000	2380/30.7.12
8	समस्तीपुर	20000000	13400000	2000000	0	200000	200000	35800000	236415	0	0	0	0	0	0	669000	8000000	20000000	720000	65425415	2124/12.9.12, 1892/16.8.12, 1536/30.6.12, 2131/12.9.12
9	जहानाबाद	15000000	10050000	1500000	0	150000	150000	26850000	0	0	0	0	0	0	0	334000	4950000	5000000	0	37134000	1428/30.7.12
10	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770000	6050000	0	440000	7260000	1061/5.6.12
11	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	4000000	0	4100000	1777/17.8.12
12	गया	20000000	13400000	2000000	0	200000	200000	35800000	0	0	0	0	0	0	120000	200000	0	10000000	0	46120000	2463/13.8.12
13	शिवान	8800000	5896000	880000	0	88000	88000	15752000	0	0	0	0	0	0	100000	795000	0	25500000	800000	42947000	09/7.7.12
14	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000000	0	20000000	2143/12.7.12
15	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000000	10000000	0	17000000	1155/21.8.12
16	मुजफ्फरपुर	30000000	20100000	3000000	0	300000	300000	53700000	0	0	40000	0	0	0	0	400000	5000000	20000000	0	79140000	2139/17.8.12, 2424/14.9.12
17	वैशाली	5500000	3685000	550000	0	55000	55000	9845000	0	0	100000	0	0	80000	85000	0	9000000	20000000	0	39110000	1405/2.8.12
18	लक्खीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500000	0	9500000	837/9.5.12
19	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000000	0	15000000	1791/24.5.12
20	औरंगाबाद	70000000	46900000	7000000	0	700000	700000	125300000	33581	0	0	0	0	0	50000	0	0	15000000	0	140383581	1668/5.6.12, 2014/12.7.12, 2049/17.7.12
21	भागलपुर	30000000	20100000	3000000	0	300000	300000	53700000	0	0	50000	100000	200000	0	0	0	8500000	24000000	0	86550000	1198/3.4.12, 2707/21.8.12
22	बौका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000000	0	0	7000000	2843/1.8.12
23	खगड़िया	10000000	6700000	1000000	0	100000	100000	17900000	0	0	0	0	0	0	0	200000	1000000	10000000	0	29100000	1923/26.7.12
24	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000000	0	9000000	2409/20.9.12
25	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	5000000	1285/22.9.12
26	निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	720000	482400	72000	5000	7200	7200	1293800	0	15000	10000	0	0	4400	0	0	0	0	0	1323200	294/10.7.12
	कुल	263120000	176290400	26312000	10000	2631200	2631200	470994800	675972	65000	290000	298400	200000	184400	455000	5284000	102768468	325753000	3320000	910289840	

(एकान्वे करोड़ दो लाख नवासी हजार चालीस) रू० मात्र

28/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

46(7)
03-10-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	4	6	5
1	वेतन (01–01)	2953765000	2261392400	263120000	2524512400	429252600
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	1979022000	1515132908	176290400	1691423308	287598692
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	295376000	226139240	26312000	252451240	42924760
4	परिवहन भत्ता (01–05)	1681000	680000	10000	690000	991000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	29510000	22615924	2631200	25247124	4262876
6	अन्य भत्ता (01–07)	29538000	22625024	2631200	25256224	4281776
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**5288892000**	**4048585496**	**470994800**	**4519580296**	**769311704**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	2000000	1100355	675972	1776327	223673
8	यात्रा व्यय (11–01)	5340000	2700000	65000	2765000	2575000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	7700000	3745000	290000	4035000	3665000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	10680000	6634000	298400	6932400	3747600
11	दूरभाष (13–03)	4860000	2407500	0	2407500	2452500
12	विद्युत प्रभार (13–04)	21848000	9630000	200000	9830000	12018000
13	विधि प्रभार (13–05)	2000000	380000	0	380000	1620000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	6390000	2695000	184400	2879400	3510600
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	5900000	3095000	455000	3550000	2350000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉं (21–01)	38525000	19853600	5284000	25137600	13387400
17	दवा भंडार (21–02)	600000000	295200000	102768468	397968468	202031532
18	आहार / पथ्य (21–03)	133500000	66500000	0	66500000	67000000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
20	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाऐं (28–01)	1754000000	856000000	325753000	1181753000	572247000
21	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	40000000	20960000	3320000	24280000	15720000
	कुल योगः–	**7921636000**	**5339485951**	**910289040**	**6249774991**	**1671861009**

46(7)(a)
03-10-12

28/9/2012
सरकार के संयुक्त सचिव